स्पाइसेस बोर्ड

भारत सरकार

कोच्ची - 25

विपणन/म.पा./जोधपुर/ईओआई/वेय ब्रिड्ज/2022-2023 **05.03.2023**

स्पाइसेस पार्क, जोधपुर, राजस्थान में स्थापित वेय ब्रिड्ज (60 मीट्रिक टन क्षमता वाली) के वाणिज्यिक संचालन के लिए बोली आमंत्रित की जाती है

स्पाइसेस बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने राजस्थान के जोधपुर के रामपुरा भाटियाँ में बीजीय मसालों, मुख्यरूप से जीरा के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन के लिए 60 एकड़ की भूमि में एक मसाला पार्क स्थापित किया है। बोर्ड ने मसाला पार्क में सामान्य प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं भंडारण सुविधाएँ स्थापित की। पार्क में उपलब्ध सामान्य प्रसंस्करण इकाइयों में सड़क, नाली, निर्बाध बिजली और पानी की आपूर्ति आदि शामिल हैं। बोर्ड भविष्यलक्षी उद्यमियों को मसाला प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए भूमि पट्टे पर आवंटित की है। पार्क में पहले से ही 7 इकाइयाँ कार्यरत हैं। अन्य 6 इकाइँ निर्माणाधीन हैं।

बोर्ड अब स्पाइस पार्क में पट्टे आधार पर स्थापित एसेसरीज के साथ 60 टी पिट टाइप वे ब्रिज प्रणाली के वाणिज्यिक संचालन के लिए इच्छुक पार्टियों से बोली आमंत्रित करता है। वेय ब्रिड्ज को पाँच साल के लिए 'जैसा है जहाँ है' की स्थिति में पट्टे पर दिया जाएगा।

वेय ब्रिड्ज को पट्टे पर देने के लिए निबंधन और शर्तें:

1. सुविधा "'जैसा है जहाँ है' की स्थिति में किराए पर दी जाएगी।
2. करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 5 साल के लिए वेय ब्रिड्ज को किराए पर दिया जाएगा।
3. किराया प्रति वर्ष 5 प्रतिशथ दर से बढ़ाया जाएगा।
4. स्पाइसेस बोर्ड यथानुपात आधार पर भुगतान पर यूनिट को बिजली प्रदान करेगा।
5. यूनिट को पात्र बोलीदाता को किराए पर दिया जाएगा जिसने बोर्ड के अन्य निबंधन व शर्तों को पूरा करने के साथ-साथ प्रति माह उच्चतम किराया उद्धृत किया है।
6. उच्चतम बोलीदाता को बोर्ड से प्रस्ताव पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर बोर्ड के साथ एक करार निष्पादित करना होगा।
7. उच्चतम बोलीदाता को बोर्ड के रसीद खाते में ऑनलाइन बैंक हस्तांतरण के माध्यम से तीन महीने के

किराए के बराबर ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा का भुगतान करना होगा। यूनिट को बोर्ड को सौंपने के समय बिना ब्याज के प्रतिभूति जमा वापस कर दी जाएगी। प्रतिभूति जमा करार के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

8. यदी कोई आवश्यक हो तो, उच्चतम बोलीदाता अपने खर्च पर मरम्मत का कार्य करेगा।
9. यूनिट का वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) उच्चतम बोली लगाने वाले को अधिकृत विक्रेता/सेवा प्रदाता से लेना होगा।
10. वेय ब्रिड्ज का संचालक को बाट और माप के मुख्य निरीक्षक द्वारा संचालित एक प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।
11. उच्चतम बोलीदाता वेय ब्रिड्ज के संचालन के सभी आवश्यक सांविधिक अनुमोदन/अनुज्ञप्ति लेगा और समय-समय पर उनका नवीकरण करेगा।
12. उच्चतम बोली लगाने वाले को करार की तिथि से 15 दिनों के भीतर और सुरक्षा जमा की प्राप्ति के बाद वेय ब्रिड्ज का कब्जा लेना होगा। यदि अनुबंध की तिथि से 15 दिनों के भीतर कब्जा नहीं लिया जाता है, तो इसे निविदा शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा, और बोर्ड को पट्टा समझौते को रद्द/समाप्त करने का अधिकार है और इकाई को दूसरे पात्र फर्म/एजेंसी को पट्टे पर देने का अधिकार है।
13. मासिक किराए का भुगतान 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ हर उत्तरवर्ती महीने की पाँच तारीख को या उससे पहले स्पाइसेस बोर्ड को किया जाएगा।
14. सुविधा के संचालन के दौरान मसाला पार्क के पणधारियों को प्राथमिकता दी जाएगी और सुविधा का उपयोग करने का शुल्क बोर्ड की सहमति से तय किया जाएगा।
15. इच्छुक व्यक्ति या फर्म बोली समाप्ति तिथि से पहले सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से सायं पाँच बजे तक यूनिट में आ सकते हैं। वे यात्रा से पहले निम्नलिखित पते पर प्रभारी अधिकारी, स्पाइसेस पार्क, जोधपुर से संपर्क कर सकते हैं।

    प्रभारी अधिकारी,
    स्पाइसेस बोर्ड प्रादेशिक कार्यालय
    सी 65, दूसरा एक्सटेंशन कमला नेहरू नगर,
    जोधपुर, राजस्थान
    spicesboardju@gmail.com
    मो: 9483843351/ 9656781180

16. बोर्ड बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को अस्वीकार/रद्द करने का अधिकार रखता है।
17. तीन महीने से अधिक समय तक लगातार वेय ब्रिड्ज का उपयोग नहीं करने या समय पर मासिक किराए का भुगतान न करने पर बोर्ड पट्टे को समाप्त कर देगा।
18. कार्यकाल पूरा होने के बाद, वेय ब्रिड्ज को वैध लाइसेंस/दस्तावेजों के साथ चालू हालत में बोर्ड को सौंप दिया जाना चाहिए।
19. ईएमडी बोली प्रस्तुत करने के लिए लागू नहीं है। तथापि, बोलीकर्ता संलग्नक-II में दिए गए निर्धारित

फॉर्मेट में बोली सुरक्षा घोषणा प्रस्तुत करेंगे।

20. तकनीकी बोली संलग्नक-I के रूप में दिए गए प्रारूप में बोली सुरक्षा घोषणा के साथ-साथ संलग्नक- II के रूप में दिए गए फॉर्मेट में एक अलग लिफाफे में प्रस्तुत की जाएगी जिसके ऊपर तकनीकी बोली लिखा हो। (लिफाफा -1)
21. वित्तीय बोली अनुबंध-III के रूप में दिए गए प्रारूप में एक अलग लिफाफे में प्रस्तुत की जाएगी जिसके ऊपर वित्तीय बोली लिखा हो। (लिफ़ाफ़ा 2)
22. तकनीकी और वित्तीय बोलियाँ (लिफाफा 1 और 2) को एक सीलबंद लिफाफे में जिसके उपर "स्पाइस पार्क, जोधपुर में वेयिंग ब्रिड्ज प्रणालीके वाणिज्यिक संचालन के लिए बोली" लिखा हो, 06-03-2023 को दोपहर तीन बजे या उससे पहले निम्नलिखित पते पर भेजा जाएगा। निदेशक (विपणन), स्पाइसेस बोर्ड, सुगंधा भवन, एनएच बाई पास, पलारीवट्टम, कोच्ची 682 025, केरल
23. तकनीकी बोली 07.03.2023 को सुबह 11 बजे स्पाइसेस बोर्ड कोच्चि में बोलीदाताओं की उपस्थिति में, यदि कोई हो, खोली जाएगी। तकनीकी बोलियों के अनुसार पात्र शर्तों को पूरा करने वाले बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ उसी दिन सुबह 11.30 बजे खोली जाएँगी।

स्थानः कोच्ची-25
दिनांक :03.02.2023

निदेशक (विपणन)

<u>संलग्नक-I</u>

भाग I

तकनीकी बोली

स्पाइसेस पार्क, जोधपुर में वेय ब्रिड्ज के संचालन करने के लिए आवेदन

1	फर्म/संगठन का नाम	
2.	कानूनि स्थिति (प्रति संलग्न करें) *	स्वामी / भागीदारी / प्राइवेट लिमिटेड, / पब्लिक लिमिटेड,/ एफपीओ
3	डाक पता, पिन नंबर, ईमेल, फैक्स और मोबाइल सहित फोन के साथ संपर्क व्यक्ति का नाम	
4	आवेदक का पान न. (प्रति संलग्न करें)	
5	जीएसटी पंजीकरण के विवरण (प्रति संलग्न करें)	
6	अनुभव का विवरण, यदि कोई हो	
7	अन्य विवरण, यदि कोई हो	

(कृपया समर्थक दस्तावेज़ों की प्रतियाँ संलग्न करें)

(आवेदक का हस्ताक्षर)

कंपनी का मोहर:

स्थान:
तारीख**:**

संलग्नक - II

(फर्म के लैटर हेड में)

बोली-सुरक्षा घोषणा

निदेशक (विपणन)
स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन,
एन.एच. बाइपास,
पलारीवट्टम, कोच्ची,
केरल - 682025

संदर्भ:

स्पाइसेस बोर्ड के ______________________________ के लिए निविदा सूचना।
............................स्पाइसेस पार्क में ______________________________ सुविधा के लिए
हमारी बोली ....
दिनांकित........

मैं/हम.. अप्रतिसंहरणीय रूप से निम्नानुसार घोषित करता हूँ /करती हूँ/ करते हैं/करती हैं :

मैं/हम समझता/समझती हूँ/समझते हैं कि, निविदा के खंड के अनुसार, हम बयाना जमा (ईएमडी) के बदले एक बोली सुरक्षा घोषणा संलग्न कर रहे हैं।

मैं/हम एतद्द्वारा स्वीकार करते हैं कि मैं/हम आपके साथ किसी भी करार के लिए बोली लगाने से अयोग्यता की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य हो सकते हैं जैसा कि आपके द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है (क्षति या किसी अन्य कानूनी सहारा दावा करने के स्पाइसेस बोर्ड के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) यदि,

1) मैं/हम बोली शर्तों के तहत किसी भी दायित्व का उल्लंघन कर रहा हूँ /रही हूँ/रहे हैं/रही हैं
2) मैं/हम बोली के फॉर्म में निर्धारित बोली वैधता अवधि या विस्तृत अवधि के दौरान मेरी/हमारी बोली वापस किया गया या एकपक्षीय रूप से आशेधित/संशोधित/पुनरीक्षित किया गया, यदि कोई हो तो।
3) स्पाइसेस बोर्ड द्वारा हमारी बोली स्वीकार करने पर, मैं/हम करार निष्पादित करने के लिए निर्धारित सुरक्षा जमा प्रस्तुत करने में विफल रहे या निबंधन और शर्तों के अनुसार और विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्य का निष्पादन प्रारंभ करने में विफल रहे।

हस्ताक्षर:

बोली-सुरक्षा घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाला
प्राधिकृत व्यक्ति का नाम एवं पद

दिनांक _____________ दिन _________________ माह, ________ वर्ष।

संलग्नक III

भाग II

वित्तीय बोली

(एक अलग सीलबंद कवर में रखा जाना है)

वेयिंग ब्रिड्ज इकाई के लिए मासिक पट्टा किराया	किराए की राशि: जीएसटी: कुल:

स्थान:

तारीख:

(हस्ताक्षर)

व्यक्ति का नाम:

पद

(मोहर)